पंचदश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक 14.07.2014 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री विक्रम कुँवर, स०वि०स० श्री सदानन्द सिंह, स०वि०स० श्री सत्यदेव नारायण आर्य, स०वि०स० श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स० श्रीमती सुखदा पांडेय, स०वि०स० श्री प्रेम रंजन पटेल, स०वि०स० श्री विनोद नारायण झा, स०वि०स० श्री हरि नारायण सिंह, स०वि०स० श्री व्यास देव प्रसाद, स०वि०स०	"बिहार में प्रथम वर्ग से लेकर सप्तम वर्ग तक के छात्रों को मुफ्त पुस्तक उपलब्ध कराना है । तीन माह बीत जाने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही के वजह से अभी तक बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध नहीं करायी गई है जिससे उनके पठन-पाठन में कठिनाईयां होती है । अतः अविलम्ब छात्रों को पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

1	2	3	4
2.	श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स० श्री रतनेश सादा, स०वि०स० डा० दाउद अली, स०वि०स० श्री राजेश्वर राज, स०वि०स० श्री सत्यदेव सिंह, स०वि०स० श्री कृष्णनंदन यादव, स०वि०स० श्री अरूण मांझी, स०वि०स० श्री सतीश कुमार, स०वि०स० श्री राजीव रंजन, स०वि०स० श्री ललन राम, स०वि०स० श्री प्रभात रंजन सिंह, स०वि०स० श्री रमेश ऋषिदेव, स०वि०स० श्री शिवजी राय, स०वि०स० श्री श्याम बिहारी प्रसाद, स०वि०स०	"राज्य भर में नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगमों में निविदा से कार्य कराया जा रहा है । नगर निकायों में छोटी-छोटी योजनाओं के कार्यान्वयन में निविदा से कार्य कराने में काफी कठिनाई होती है । निविदा के द्वारा कार्य कराने में प्रक्रिया जटिल होने के कारण कार्यान्वयन में काफी समय लगता है और राशि खर्च करने में कठिनाई होती है । साथ ही साथ मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के कार्यान्वयन में भी काफी परेशानी होती हैं । विदित हो कि पंचायती राज विभाग में भी पंचायत समिति एवं जिला परिषद की योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा के द्वारा कराया जाता था । परन्तु छोटी-छोटी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पंचायती राज विभाग ने 7,50,000 (सात लाख पचास हजार) तक के योजनाओं को विभागीय कराने का निर्णय लिया है । जिसका पत्रांक-2प/वी-6/113/2008-3503, दिनांक-13.06.2013 है । अतएव नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम एवं मुख्यमंत्री शहरी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कम से कम 15,00,000 तक की योजनाओं का विभागीय कार्य कराने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	नगर विकास एवं आवास

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-19/14- 1037 / वि०स०, पटना, दिनांक- 12 जुलाई, 2014 ई० ।

प्रतिः-बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

12.7.14
(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-19/14- 1037 / वि०स०, पटना, दिनांक- 12 जुलाई, 2014 ई० ।

प्रतिः-अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

12.7.14
(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।